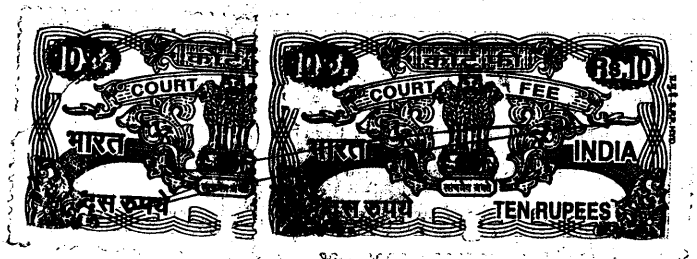

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर, भोपाल केम्प (म.प्र.)

प्रकरण कं0...../16

(1) **रंजीत सिंह** पुत्र श्री किशन सिंह
(2) **विक्रम सिंह** पुत्र श्री किशन सिंह
(3) **हरी सिंह** पुत्र श्री परसराम
सभी निवासीगण एवं कृषक–ग्राम ईंटखेड़ी सड़क, तहसील हुजूर, जिला भोपाल ––– **आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्ता**

विरूद्ध

मोहम्मद सादिक पुत्र श्री शेख रहीम
निवासी–म0नं0–49, गली नं0–3,
काजी कैम्प, भोपाल––– **अनावेदक/उत्तरदाता**

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959

आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा सीमांकन प्रकरण कं0–179/अ–12/15–16 आदेश दिनांक 25.07.2016 से दुःखित होकर आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा यह पुनरीक्षण आवेदन निम्नलिखित तथ्यों एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुनरीक्षण आवेदन के तथ्य

(1) यह कि आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम ईंटखेड़ी सड़क तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है। उक्त कृषि भूमि पैत्रिक कृषि भूमि होकर आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्ता को प्राप्त हुई है।

(2) यह कि अनावेदक एवं आवेदकगण आपस में पड़ोसी कृषक हैं। आवेदकगण कई वर्षो से अपनी–अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं।

(3) यह कि आवेदकगण कई वर्ष पूर्व से काबिज होकर काश्तकारी करते चले आ रहे हैं। अनावेदक द्वारा अपनी

...3.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4025–पीबीआर/2016 **जिला भोपाल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07.02.17	आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् मौके पर हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर सीमांकन कार्यवाही की गई है जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि सीमांकन में आवेदकगण को सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ सूचना पत्र संलग्न है, जिसमें रंजीतसिंह विक्रमसिंह व हरिसिंह को सूचना प्राप्त करने संबंधी हस्ताक्षर है, ऐसी स्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	